न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 30 / 2016 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. बगताराम पुत्र किशनाराम 2. गोमाराम पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी खोखर पूर्व तहसील गिडा जिला बाड़मेर।	**बनाम**	1.श्रीमती भूरी पत्नी श्री छोगाराम पुत्री राणाराम जाति जाट निवासी कालेवा तहसील पचपदरा 2.श्रीमती बाबू पत्नी श्री जोगाराम पुत्री राणाराम जाति जाट निवासी सिमरखिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर। 3.कुम्भाराम पुत्र हुकमाराम का मु 3/1जवाराराम पुत्र कुम्भाराम 3/2भंवराराम पुत्र कुम्भाराम 3/3गिरधारी पुत्र कुम्भाराम 3/4प्रकाश पुत्र कुम्भाराम 4.चंदा पुत्र राजुराम 5.लालूराम पुत्र हुकमाराम 6.देवाराम पुत्र हुकमाराम 7.आसूराम पुत्र हरूराम 8.हेमाराम पुत्र हरूराम 9.वीरमाराम पुत्र हरूराम 10.जवाराराम पुत्र हरूराम 11.हरखाराम पुत्र खेता 12.हरखाराम पुत्र खेता 13.रावताराम पुत्र खेताराम 14.सोनाराम पुत्र सुरताराम 15.चनणाराम पुत्र सुरताराम 16.मु.चनणी उर्फ चौथी बेवा सुरताराम जाति जाट निवासी खोखसर पूर्व तहसील बायतु 17.श्रीमान तहसीलदार बायतु जिला

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर (मुहर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

बाड़मेर

18.जयपुर थार आंचलिक ग्रामीण बैंक

शाखा परेऊ।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2012 बअनवान भूरी वगै. बनाम बगताराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बांकाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री श्रवणकुमार चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 18.12.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी का पैतृक खेत अविभाजित ग्राम खोखसर पूर्व तहसील बायतु में खसरा संख्या 1363 रकबा 337 बीघा व खसरा संख्या 1349 रकबा 152 बीघा समस्त रकबा 489 बीघा आये हुऐ है। भू बंदोबस्त के समय पूर्व पुरूष मदाजी का देहान्त हो चुका जिससे उनके वारिसान पुत्र मुकना व हुकमा पिता मदा इस आराजी के हिस्सा 2/3 पर तथा शेष हिस्सा 1/3 पर प्रतिवादी संख्या 7 से 15 के वारिसान काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट बगताराम से व्यक्तिगत रूप से सम्मन तामिल नहीं करवाया गया तथा अपीलांट गोमाराम से सम्मन तामिल होने पर गोमाराम ने अपनी ओर से अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु अधिवक्ता श्री खेताराम जाखड़ को नियुक्त करते हुए उन्हें कागजात एवं वकालतनामा दिया जिस पर अधिवक्ता ने अपीलांट गोमाराम को पैरवी करने हेतु पूर्व आश्वासन दिया तथा अधिवक्ता खेताराम जाखड़ ने दिनांक 16.04.2012 को अपीलांट की ओर से अण्डरटेकिंग भी ली गई परन्तु अपीलांट की ओर से वकालतनामा पेश नहीं किया तथा न ही पैरवी की गई तथा अधिवक्ता द्वारा अपीलांट की ओर से पैरवी न करने बाबत सूचना भी अपीलांट को नहीं दी गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सूचना दिये अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विवाद्यक बिन्दू कायम किये ही पत्रावली वादीगण की साक्ष्य हेतु नियत कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये व बिना किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट तलब किये ही लोक अदालत के कैम्प कोर्ट में रखते हुऐ बिना दस्तावेजी सबूतों की उतरदाता संख्या 01 व 02 को मात्र मौखिक

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

कथनों पर विश्वास करते हुए उतरदाता संख्या 01 व 02 को सहखातेदार घोषित करने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली बिना प्राथमिक डिक्री जारी किये व बिना किसी प्रकार की मौका रिपोर्ट तलब किये ही लोक अदालत के कैम्प कोर्ट में रखते हुऐ बिना दस्तावेजी सबूतों की उतरदाता संख्या 01 व 02 को मात्र मौखिक कथनों पर विश्वास करते हुए उतरदाता संख्या 01 व 02 को सहखातेदार घोषित करने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होने से खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिये गये जानबूझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलांटगण मामले को लंबा करने के लिए हस्तगत अपील पेश की गई है। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। रेस्पोडेंटगण अरसा 25 दिन पूर्व अजनबी व्यक्तियों को लेकर मौके पर आई तथा वादग्रस्त भूमि दिखाने लगी जिस

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पर अपीलांटगण ने पूछताछ की तो उतरदातागण ने बताया कि हमने दावा हमारे पक्ष में निर्णित करवाकर अपना हिस्सा घोषित करवा दिया है तथा अब हम भूमि का बेचान करना चाहते है जिस पर अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया तो आपकी तरफ से पैरवी नहीं की इसलिये कोई जानकारी नहीं हुई जिस पर अपीलांट अन्य अधिवक्ता नियुक्त कर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी ली तथा दिनांक 22.02.2016 को नकलें प्राप्त की तो सम्पूर्ण तथ्य की जानकारी हुई जिस पर सम्यक तत्परता के साथ यह अपील पेश की है। तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। जिसका कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। जबकि अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन की व्याख्या स्पष्ट करनी होती है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में बिना विवाद्यक बिन्दू कायम किये अपीलाधीन निर्णय मौखिक कथनों पर विश्वास करते हुऐ पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट मुख्यालय खोखसर में सुनवाई हेतु रखी। इस बाबत अलग से न तो सूचना थी न ही अपीलांट को कोई नोटिस दिया। अपीलांट की गैर हाजरी में निर्णय व डिक्री पारित की गई है। कैम्प कोर्ट में राजीनामे एवं आपसी सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किये जाते है जबकि अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा ऐसी कोई सहमती एवं राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में पेश नहीं किया गया जिससे एकपक्षीय निर्णय कैम्प कोर्ट में पारित करना प्राकृतिक

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित प्रक्रिया (Procedure) का पालन नहीं किया गया। न तो वाद में तनकीयात कायम की गई है और न उभयपक्ष की तनकीवार साक्ष्य ली गई है तथा निर्णय भी एकतरफा पारित किया गया है। अपीलांट/प्रतिवादीगण को सुनवाई का मौका भी नहीं दिया गया है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांट की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 40 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 26/2012 बअनवान भूरी वगै. बनाम बगताराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.06.2015 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 40 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करे।

18/12/19

(नाथूसिंह राठौड़)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 18.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/12/19

राजस्व अपील प्राधिकारी

बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner